जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. KRB/Res./2026-27/091 दिनांक : 13/04/2026

प्रति, मा. आपश्री नमस्कार
माननीय मुख्यमंत्री,
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)

विषय: स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शुल्क लागू करने के निर्णय को तत्काल वापस लिए जाने बाबत।

आपको सादर अवगत कराना आवश्यक प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 से कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब, वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु **स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना** प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य स्पष्ट था - ऐसे परिवारों के बच्चों को भी वही स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना, जो महंगे निजी विद्यालयों में ही संभव होती है।

इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रदेशभर में आवश्यकता अनुसार विद्यालयों की संख्या बढ़ाते हुए वर्तमान में हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम सहित कुल लगभग 751 **आत्मानंद विद्यालय** संचालित हो रहे हैं। इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु सीटों से अधिक मांग होने पर पारदर्शी **लॉटरी प्रणाली** अपनाई जाती रही है, जिससे समाज के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिल सके। साथ ही, विद्यार्थियों को **निःशुल्क शिक्षा, गणवेश, पुस्तकें एवं अन्य अध्ययन सामग्री** प्रदान की जाती रही है, जिससे गरीब परिवारों पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ न पड़े।

परंतु, अत्यंत खेद एवं चिंता का विषय है कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा नवीन शैक्षणिक सत्र से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों से **₹1500 वार्षिक शुल्क** लेने का निर्णय लिया गया है, जिसकी पुष्टि हाल ही में प्रकाशित समाचार से भी होती है। यह निर्णय न केवल जनविरोधी है, बल्कि आत्मानंद विद्यालयों की मूल भावना एवं उद्देश्य के विपरीत है।

Scanned with OKEN Scanner

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. .....

दिनांक : .....

प्रदेश में हजारों ऐसे परिवार हैं, जिनके लिए ₹1500 **प्रतिवर्ष भी अत्यंत भारी आर्थिक बोझ** है। ऐसी स्थिति में अनेक अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़ाने को विवश हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो यह न केवल शिक्षा के अधिकार पर आघात होगा, बल्कि सरकार द्वारा वर्षों से बनाए गए इस उत्कृष्ट मॉडल की आत्मा को भी समाप्त कर देगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि आत्मानंद विद्यालयों की लोकप्रियता एवं सफलता का सबसे बड़ा कारण ही यह रहा है कि यहाँ **पूर्णतः निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** उपलब्ध कराई जाती रही है। शुल्क लगाने का निर्णय इस व्यवस्था को कमजोर करेगा तथा गरीब एवं वंचित वर्ग को पुनः शिक्षा से दूर करने का कार्य करेगा।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे आग्रह है कि–

1. आत्मानंद विद्यालयों में शुल्क लागू करने की व्यवस्था के निर्णय को **तत्काल प्रभाव से वापस लिया** जाए एवं पूर्व की भांति **पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था** को यथावत जारी रखा जाए।
2. गरीब एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हेतु स्पष्ट नीति बनाकर उन्हें किसी भी प्रकार के आर्थिक बोझ से मुक्त रखा जाए।

यदि सरकार इस जनविरोधी निर्णय को वापस नहीं लेती है, तो प्रदेशभर में अभिभावकों एवं छात्रों के साथ मिलकर व्यापक जनआंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

आशा है कि आप संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस गंभीर विषय पर शीघ्र एवं सकारात्मक निर्णय लेंगे।

सधन्यवाद,

(जयसिंह अग्रवाल)

प्रतिलिपि:
माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री,
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner